

**MOST URGENT**  
**RTI MATTER**

File No. 1-73/2015-RTI-CC-ES  
Department of Agriculture and Cooperation  
Directorate of Economics and Statistics  
(RTI Act, Cell, CC Division)

Room No. 443, Krishi Bhavan, New Delhi  
Dated: 12.05.2015

Sub: Application of Shri Krishan Garg, Haryana Vide Regn. No DOEAS/R/2015/80038 dated 08.05.2015 on Prices of Crops.

Please find enclosed application received from Application of Shri Krishan Garg, Haryana Vide Regn. No DOEAS/R/2015/80038 dated 08.05.2015 transferred from Shri PC Pande, DS & CPIO, DAC vide their letter No. A.49011/1/2015-EA dated 8-5-2015 seeking information under Right to Information Act, on Prices of Crops. As the information sought by the applicant may be concerned with your Division, the application is being transferred under section 6(3) of RTI Act, 2005 with request to send the requisite information directly to the applicant under intimation to RTI Cell, DAC, Shri PC Pande DS&CPIO, DAC and undersigned.

2. While furnishing information to the applicant under the provisions of RTI Act 2005, the following guidelines must be kept in mind:

- i) Information must be furnished directly to the applicant under intimation to this Cell within 30 days.
- ii) Even Nil information should be reported to the applicant.
- iii) Name, designation, address, Official telephone no. and e-mail ID of the Appellate Authority may also be mentioned in the reply.
- iv) In the concluding para of the reply mention that the First Appeal, if any, against the reply may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply.

3. A copy of the reply may also be marked to NIC for uploading in DES web site under RTI segment.

Encl: As above

Adviser (FE)

DES, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

*Dy. No. 187/2015-ABR  
12/05/15*

*S. Chandrasekar  
12-5/15*  
(Dr. S Chandrasekar)  
CPIO & Adviser.

Copy also to :

1. Shri Krishan Garg, Khurana Market, Sarrafa Bazar, Kaithal, Haryana – 136027.
2. Shri P.C. Pande, Dy. Secretary & CPIO, DAC, Room No 232, Krishi Bhavan, New Delhi
3. Smt. Rita Gadhok, Section Officer (RTI)/CPIO, DAC, Krishi Bhavan, New Delhi
4. Technical Director, NIC, Room No 341, Krishi Bhavan, New Delhi-1.

*submit to Mr. Pande  
13.5.15  
copy to Mr. Pande*

*8/13/15  
Eg(m)  
JSOC(y)*

RTI REQUEST DETAILS			
<b>Registration No. :</b>	DOEAS/R/2015/80038	<b>Date of Receipt :</b>	08/05/2015
<b>Type of Receipt :</b>	Electronically Transferred from Other Public Authority	<b>Language of Request :</b>	Hindi
<b>Name :</b>	Krishan Garg	<b>Gender :</b>	Male
<b>Address :</b>	Khurana market, Sarrafa bazar, Kaithal. Pin:136027		
<b>State :</b>	Haryana	<b>Country :</b>	Details not provided
<b>Phone No. :</b>	Details not provided	<b>Mobile No. :</b>	Details not provided
<b>Email :</b>	Details not provided		
<b>Status(Rural/Urban) :</b>	Details not provided	<b>Education Status :</b>	Details not provided
<b>Letter No. :</b>	Details not provided	<b>Letter Date :</b>	Details not provided
<b>Is Requester Below Poverty Line ? :</b>	No	<b>Citizenship Status :</b>	Indian
<b>Amount Paid :</b>	0	<b>Mode of Payment :</b>	Details not provided.
<b>Does it concern the life or Liberty of a Person ? :</b>	No(Normal)	<b>Request Pertains to :</b>	
<b>Information Sought :</b>	as it is regarding prices of crops		
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Close"/>			





S.No. 239 (R)

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : DOA&C/R/2015/00735 Date of Receipt : 05/05/2015

Type of Receipt : Manually Transferred from Other Public Authority without Payment Language of Request : Hindi

Name : Krishan Garg Gender : Male

Address : Khurana market, Sarrafa bazar, Kaithal, Pin:136027

State : Haryana Country : Details not provided

Phone No. : Details not provided Mobile No. : Details not provided

Email : Details not provided

Status(Rural/Urban) : Details not provided Education Status : Details not provided

Letter No. : Details not provided Letter Date : Details not provided

Is Requester Below Poverty Line ? : No Citizenship Status : Indian

Amount Paid : 0 Mode of Payment : Details not provided.

Does it concern the life or Liberty of a Person ? : No(Normal) Request Pertains to : P. C. Pande (EA)

Information Sought : as it is regarding prices of crops

Print Close

28402/2015/DS(EA)  
7/5

Sh. DK.  
07/05/15

~~8/5/15 (EA)~~

~~7/5/278~~

2/5/15  
7/5/15

4072

सूचना का अधिकार

27/04/15  
21/05/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साठथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 031

दिनांक: 21/04/2015

संख्या आरटीआई/5292/2015-पीएमआर

11-62

कार्यालय हापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री कृष्ण गर्ग से प्राप्त दिनांक 21.4.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 24.4.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथाचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

21/05/15

आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

रत 2015  
RE



(पूजा शर्मा)

अवर सचिव एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

फ़ोन: 2338 2590

सचिव, भारत सरकार  
कृषि एवं सहकारिता विभाग  
कृषि भवन, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री कृष्ण गर्ग  
खुराना मार्केट, सरफा बाजार  
कैथल, हरियाणा - 136 027

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

5292 28/4/K


408

5292/15

श्री मान जन सूचना अधिकारी

राज प्रज्ञान संघी महोदय

भारत सरकार



विषय:- जार टी आई 2005 के तहत सूचना हेतु।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं आपके पास निम्न सूचना के लिये पोस्टल अर्द्ध नं०-27एफ, 440075 किमत पर रुपये का भेज रहा हूँ। कृपया मुझे निम्न सूचना दिखाने में सहायता करें। यदि कोई सूचना आप के विभाग से सम्बन्धित न हो तो दूसरे विभाग से लेकर दें।

1. सरकार किसानों को फसलों का न्यूनतम, मध्यम या अधिकतम कौन सा मूल्य तय करती है। गेहूँ का वर्ष 2015-16 का मूल्य घोषित करने के आदेश को पोटो काफ़ी धेकी जाये।

2. न्यूनतम मूल्य को क्या परिभाषा दानि अर्थ है और जब न्यूनतम तय किया गया तो सरकार खरीद करती है या नहीं लागू है। यदि नहीं लागू होती है तो फिर इस को न्यूनतम किस प्रकार कहते हैं अधिकतम क्यों नहीं।

3. जब सरकार मूल्य तय करके जतों के तहत खानको पर खरीद करती है तो खानक तय हुए न होने पर सर्वमन मूल्य से क्या पर क्यों नहीं विक्रय हो जाती है। इस आदेश को प्रति भेजे।

4. सरकार द्वारा किसानों को फसल खरीदने के बाद न खे खरीद करती और सम्पूर्ण मूल्य से कम पर प्रवृत्त खरीद करके खरीदने की नहीं दिया जाता। जब सरकार द्वारा इस भटिया फसल के बारे में क्या किये। इन आदेशों की भी पोटो काफ़ी धेकी जाये किसे में है, किसान क्या करें।

5. सरकार के द्वारा वर्ष 2007-08 व 2008-09 में 50 रुपये प्रति किन्टन खेनस की घोषणा कि गई थी, परन्तु किसानों को दिया गया नहीं और जार टी आई 2005 के तहत सूचना मिलने पर सभी जगह से सूचना से भका खला कि घोषित खेनस दिलवाने में नोबे से खेनस खरक सभी अधिकारी व नेता असमर्थ है। ऐसा क्यों। यदि सब दिलवाने में असमर्थ है तो फिर घोषित क्यों किया जाता है। हरियाणा के अकेले किसान किसे में इन सौ वर्षों का लगभग दस करोड़ से भी ज्यादा का खेनस आसनी रहता है। क्या कानुनी कारवाई करके सरकार इस घोषित खेनस को दिलवा सकेगी और किसान सम्भव में।

कृपया इन बातें निम्नूदों पर सूचना दी जाये। आपकी अति कृपया होगी।

  
K. V. Singh  
कृषि मंत्री, भारत सरकार

सूचना मार्केट, सराफा बाजार कैम्पल- 136027

म. - 094166-49008, 09416761928

07404797770

म. नं०. 217 440075 28/4/15

32001  
24/04/15

**F.No. 9-3/2014-FES-ES**  
**Government of India**  
**Ministry of Agriculture**  
**Department of Agriculture & Cooperation**  
**(Directorate of Economics & Statistics)**  
FE Division

Room No. 416,  
Krishi Bhawan, New Delhi,  
Dated the

Shri Krishan Garg,  
Khurana market,  
Sarrafabazaar,  
Kaithal-136027.

**Subject: - Application under Right to Information Act, 2005.**

**Dear Sir,**

Kindly refer to your letter dated 24.04.2015 on above mentioned subject. Requisite information is enclosed except point No. 5 which relates to Department of Food & Public Distribution.

Encl: As above.

*Pratiyush Kumar*  
(Pratiyush Kumar)  
Assistant Director



## न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर टिप्पणी

कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति का उद्देश्य अधिक निवेश तथा उत्पादन को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था की कुल आवश्यकताओं के संदर्भ में संतुलित तथा एकीकृत मूल्य ढांचा तैयार करने के लिए उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग(सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ ऐसे अन्य संबंधित कारकों जिसे समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, के विचारों को ध्यान में रखकर विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए समर्थन मूल्यों का निर्णय करती है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अनेकों महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिसमें शामिल हैं उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियाँ, मांग एवं आपूर्ति स्थिति, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति आदि।

खेती/उत्पादन लागत में अदा की गई लागतों के रूप में सभी नकद भुगतान के साथ पारिवारिक श्रम की मजदूरी का आरोपित मूल्य शामिल है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के अनुरूप है। उत्पादकों के पास विकल्प है कि वे अपने उत्पादों को सरकारी एजेंसियों को अथवा खुले बाजार, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, में बेचे।